

प्रेस नोट दिनांक- 25.05.2026

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

गैर-इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत टेकनियापुर मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23/24.05.2026 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टेकनियापुर गोपालपुर में पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी श्यामलाल वर्मा द्वारा अपनी पत्नी के साथ डण्डे से मारपीट किए जाने से शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 104/2026 धारा 105 बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त श्यामलाल वर्मा (पति) पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का० कुलदीप पाल, का0 अजय चौहान, रि0का0 प्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 105 बीएनएस थाना सांगीपुर से संबंधित 01 अभियुक्त श्यामलाल पुत्र स्व० भजन वर्मा निवासी ग्राम टेकनियापुर गोपालपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत टेकनियापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.श्यामलाल पुत्र स्व० भजन वर्मा निवासी ग्राम टेकनियापुर गोपालपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का० कुलदीप पाल, का0 अजय चौहान, रि0का0 प्रकाश थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 शातिर अपराधी महेन्द्र सिंह चौहान को किया गया गिरफ्तार, साथ ही अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम बरामद किया गया-

अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत नागापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे का0 हेमन्त, का० पुष्पेन्द्र, का० दिनेश यादव, का० जयप्रकाश भारती द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत नागापुर नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र दूधनाथ निवासी ग्राम नागापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त महेन्द्र सिंह चौहान के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 130/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र दूधनाथ निवासी ग्राम नागापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष ।

आपराधित इतिहास-

01. मु0अ0सं0-11/2023 धारा- 302 भादवि0 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0-204/2023 धारा 354 (ख) भादवि0 3(1)(w), 3(2)(Va) एससी/ एसटी एक्ट व 9m पाक्सो एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 130/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे का0 हेमन्त, का0 पुष्पेन्द्र, का0 दिनेश यादव, का0 जयप्रकाश भारती थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों- हरिशंकर पाण्डेय व आकाश सरोज उर्फ बच्चा को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद चाकू बरामद-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्तों को क्षेत्रान्तर्गत तान्त्रिक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2026 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महियामऊ पंडित का पूरा निवासिनी वादिनी के पुत्र को आरोपीगणों द्वारा गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रकरण के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 128/26 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 118(2), 324(4) बीएनएस एवं 3(1), 3(1)(ध), 3(2)(V), 3(2)(Vक) एससी/एसटी एक्ट बनाम 08 नामजद एवं 02 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ0नि0 वारिज कसेरा मय उ0नि0 अमलेश शुक्ला मय हमराह कां0 सुनील कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 128/26 धारा 191(2), 191(3) , 190, 115(2), 352, 351(3), 351(4), 109(1), 118(2), 303(2) बीएनएस व 3(1), 3(1)ध, 3(2)V, 3(2) Vक एससी/ एसटी एक्ट थाना जेठवारा से संबंधित 02 अभियुक्तों- 1. हरिशंकर पाण्डेय पुत्र चन्द्रमा प्रसाद पाण्डेय निवासी पाण्डेय का पुरवा, महियामऊ थाना जेठवारा प्रतापगढ़ 2.आकाश सरोज उर्फ बच्चा पुत्र

राजेश सरोज निवासी पाण्डेय का पुरवा, महियामऊ थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत तान्त्रिक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महियामऊ पंडित का पूरा के पास स्थित तालाब के भीटा से घटना में प्रयुक्त दो अदद चाकू अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.05.2026 को ग्राम महियामऊ पंडित का पूरा में हुई मारपीट की घटना में वे शामिल थे तथा उन्होंने चाकू से वादिनी के पुत्र पर हमला किया था। घटना के उपरांत भागते समय हम दोनों अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू पास स्थित तालाब के भीटा पर फेंक दिए गए थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर नियमानुसार तलाशी/निरीक्षण कर खून लगे दो अदद चाकू बरामद किए गए। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हरिशंकर पाण्डेय पुत्र चन्द्रमा प्रसाद पाण्डेय निवासी पाण्डेय का पुरवा, महियामऊ थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
2. आकाश सरोज उर्फ बच्चा पुत्र राजेश सरोज नि० पाण्डेय का पुरवा, महियामऊ थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 02 अदद चाकू बरामद।

पुलिस टीम-

उ०नि० वारिज कसेरा मय उ०नि० अमलेश शुक्ला मय हमराह कां० सुनील कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा “दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अपहरण” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मंगल सिंह को गिरफ्तार किया गया-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 19.05.2026 को 01 अभियुक्त गुलजार अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूवी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायण सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 64(1),137(2), 87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र गौतम सिंह निवासी ग्राम सारंगापुरपोस्ट बड़ागांव थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र 41 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 19.05.2026 को घटना में संलिप्त अभियुक्त गुलजार अहमद पुत्र अजीज अहमद निवासी वार्ड नं0-06 सधईपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 31 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मंगल सिंह पुत्र गौतम सिंह निवासी ग्राम सारंगापुरपोस्ट बड़ागांव थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र 41 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायण सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।